2023/79

| नम्बर व तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25-09-24 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है/ अन्य कार्य मे व्यस्थ है/ अभिभाषणगण कान्फ्रेंस पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 10-10-24 को पेश हो। | |
| 10-10-24 | वकील वादी उप। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दि. 18-10-24 को पेश हो। | |
| 18/10/24 | वकील वादी उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दि० 14.11.24 को पेश हो। | |
| 14/11/24 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है/ अन्य कार्य मे व्यस्थ है/ अभिभाषणगण कान्फ्रेंस पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 11/12/24 को पेश हो। | |
| 11/12/24 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है/ अन्य कार्य मे व्यस्थ है/ अभिभाषणगण कान्फ्रेंस पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 26/12/24 को पेश हो। | |
| 26/12/24 | पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है/ अन्य कार्य मे व्यस्थ है/ अभिभाषणगण कान्फ्रेंस पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 13/01/25 को पेश हो। | |
| 13/01/25 | वकील वादी उप। पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 17/01/25 को पेश हो। | |
| 17/01/25 | वकील वादी उप.। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया, शा० मि० हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:00 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

| मिसल नंबर | दायरा दिनांक | पीठासीन अधिकारी |
|---|---|---|
| 29 / दावा / 2023 | 13.07.2023 | **हरबिन्दर डी0 सिंह,** आर0ए0एस0 |

1. रोहित शर्मा आत्मज श्री प्रेमनाथ शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम माटून्दा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।
2. सोनम बाला पत्नी नीरज शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम माटून्दा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—वादीगण

—बनाम—

1. रामकल्याण आत्मज श्री कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम जालेड़ा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।
2. पप्पूलाल आत्मज श्री कालू जाति तेली निवासी जालेड़ा हाल निवासी नैंनवा रोड़, गेट नंबर 8 के सामने, सुभाष नगर, इन्द्रा कोलोनी, बून्दी तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा—188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
**बाबत— स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा**

## निर्णय

दिनांक—17.01.2025

उपस्थित— वादी की ओर से एडवोकेट श्री लीलाधर सिंह।

वाद—पत्र वादीगण द्वारा पेश किया गया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 3.4913 हैक्ट० (22 बीघा 14 बिस्वा) वाके ग्राम जालेड़ा पटवार हल्का लालपुरा तहसील व जिला बून्दी राज० में विरिथत हैं जिसमें शान्ति बाई पत्नी कन्हैया लाल कौम गुर्जर निवासी ग्राम जालेडा तहसील व जिला बून्दी राज० का 60 / 227 हिस्सा निहित चला आ रहा था जिसको शान्ति बाई से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.04.2019 से वादी रोहित शर्मा ने 20 / 227 हिस्सा खरीद लिया इसी प्रकार शेष हिस्सा 40 / 227 को शान्ति बाई से जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 09.04.2019 से वादीनी सोनम बाला ने खरीद लिया जिसके नामान्तरण खुलकर उक्त भूमि वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं एवं उक्त भूमि पर खरीद के समय से ही वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं एवं वर्तमान जमाबन्दी में वादी रोहित शर्मा 20 / 227 हिस्सा का खातेदार व वादी सोनम बाला 40 / 227 हिस्से की खातेदार दर्ज चली आ रही हैं। कृषि भूमि खसरा संख्या 135 रकबा 0.4153 हैक्ट0, खसरा संख्या 136 रकबा 0.1384 हैक्ट0 खसरा संख्या 165 रकबा 0.0692 हैक्ट0 खसरा संख्या 409 / 132 रकबा 0.3845 हैक्ट0, खसरा संख्या 411 / 139 रकबा 0.9228 हैक्ट0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.9302 हैक्ट0 वाके ग्राम जालेडा पटवार हल्का लालपुरा भू0अ0नि0 कंवारी तहसील व जिला बून्दी में विरिथत हैं। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 रामकल्याण का 3 / 7 हिस्सा दर्ज चला आ रहा था जिसको प्रतिवादी संख्या 1 रामकल्याण ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.06.2019 से वादी रोहित शर्मा को अपने सम्पूर्ण 3 / 7 हिस्से को बेचान कर दिया एवं कब्जा संभला दिया। जिसके आधार पर वादी रोहित शर्मा का उक्त भूमि के खाते में 3 / 7 हिस्सा का नामान्तरण दर्ज होकर खाते में नाम दर्ज चला आ रहा हैं एवं खरीद के समय से आज तक वादी रामकल्याण के द्वारा बेचान कर जिस स्थान पर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:00 IST
Reason: SelfAttested

सम्भलाया वहां पर वादी काबिज होकर तब से लेकर आज तक काश्त करता चला आ रहा हैं। वर्तमान जमाबन्दी में वादी का 3/7 हिस्सा दर्ज चला आ रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 रामकल्याण के द्वारा भूमि में दर्ज अपने 3/7 हिस्से का बेचान करने के बाद जहां पर रामकल्याण का कब्जा काश्त व हिस्सा चला आ रहा था वहां पर उसने वादी रोहित शर्मा को भूमि का कब्जा सौंप दिया तब से वादी निर्बाध रूप से भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं लेकिन थोडे समय पूर्व से प्रतिवादी रामकल्याण के मन में बदयान्ति आ गई हैं इस कारण वह अपने साथ प्रतिवादी पप्पूलाल आत्मज कालू को मिलाकर दोनो वादीगण को तंग व परेशान करते चले आ रहे हैं एवं वादीगण को बेचानशुदा भूमि से बेदखल कर जबरन वादीगण की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हो रहे हैं व जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा हो रहे हैं एवं वादीगण को खरीदशुदा भूमि पर काश्त करने से रोकते हैं एवं बाधा पहुंचाते हैं। इस बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध थाना सदर देवपुरा बून्दी में रिपोर्ट भी पेश की थी जिस पर प्रतिवादीगण को पाबंद भी किया गया था। लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण लगातार वादीगण की उक्त खरीदशुदा व वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि में से वादीगण के नाम दर्ज भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जबरन कब्जा व अतिक्रमण करने पर आमादा हो रहे हैं। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के उक्त अवैध कृत्य के विरूद्ध वादीगण माननीय न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा जारी करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा भूमि का बेचान करने के बाद उक्त भूमि वादी रोहित शर्मा के खाते दर्ज हो चुकी हैं जिससे प्रतिवादी संख्या 1 का कोई लेना देना नहीं हैं इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 पप्पूलाल का वादीगण की खरीदशुदा भूमि से कोई लेना देना नहीं हैं उक्त खाता संयुक्त हैं जिसमें पप्पूलाल की 10 बिस्वा भूमि बनती हैं जो अलग हैं वादीगण के द्वारा उक्त खाते में खरीदशुदा भूमि अलग हैं जिस पर वादीगण काबिज हैं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मन में बदयान्ति आ गई हैं इस कारण वे दोनो मिलकर वादीगण की खरीदशुदा भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा हो रहे हैं इसी बात को लेकर पूर्व में भी प्रतिवादीगण के द्वारा लडाई झगडा किया गया है जिसकी रिपोर्ट थाने में पेश की हैं अभी 23.06.2023 को प्रतिवादीगण ने जबरन वादीगण के खेत में डोली डाल दी व कब्जा व अतिक्रमण करने की कोशिश की जिसको वादीगण ने रोका एवं इस बाबत् वादीगण ने थाना सदर देवपुरा बून्दी में प्रतिवादीगण के विरूद्ध रिपोर्ट पेश की इस प्रकार प्रतिवादीगण ने बिना अधिकार के वादीगण के खरीदशुदा भूमि पर जबरन कब्जा करने व वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं इस कारण वादीगण को अधिकार प्राप्त हैं कि वह प्रतिवादीगण को माननीय न्यायालय से इस प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण की वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि में से वादीगण के द्वारा खरीदशुदा भूमि पर किसी भी प्रकार से कब्जा नही करें, वादीगण की भूमि पर डोली नही बनाये, भूमि पर जबरन कब्जा व अतिक्रमण नही करें, वादीगण को उसकी खातेदारी की भूमि से बेदखल नहीं करें, वादीगण को उसकी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा नही पहुंचाये, वादीगण को फसल बोने व काश्त करने से नही रोके, ऐसा कार्य प्रतिवादी संख्या 1 व 2 न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियों से करवाये। वादीगण द्वारा इत्यादि अंकित कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इस प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण की वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि में से वादीगण के द्वारा खरीदशुदा भूमि पर किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं करें, वादीगण की भूमि पर डोली नही बनायें, भूमि पर जबरन कब्जा व अतिक्रमण नहीं करें, वादीगण को उसकी खातेदारी की भूमि से बेदखल नही करें, वादीगण को उसकी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा नही पहुंचाये, वादीगण को फसल बोने व काश्त करने से नही रोके, ऐसा कार्य प्रतिवादी संख्या 1 व 2 न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियों से करवाये। उक्त वर्णित कृषि भूमि में से वादीगण के द्वारा खरीदशुदा व वादीगण के नाम दर्ज हिस्से की भूमि पर यदि दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कब्जा करके अतिक्रमण कर ले तो प्रतिवादीगण को इस प्रकार की आदेशात्मक आज्ञा से पाबंद किया जावें कि प्रतिवादीगण को इसी वाद में बेदखल किया जावें एवं कब्जा वादी को दिलाया जावें एवं वाद के दौरान वादीगण की उक्त खरीदशुदा भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण की उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण या पत्थर इत्यादि गाढ देवे, तारबाडा व कांटो की बाड कर देवे तो उन्हे प्रतिवादीगण के खर्चे पर हटाये जाने की आदेशात्मक आज्ञा प्रतिवादीगण के खिलाफ जारी की जावें। वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रदान कराई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:00 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसके फलस्वरूप पत्रावली में तनकियां कायम नहीं गई।

वादीगण द्वारा साक्ष्य में स्वयं का शपथपत्र एवं जमाबंदी सम्वत् 2071–74 ग्राम जालेड़ा खाता संख्या 99 पुराना 86 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत् 2071–74 ग्राम जालेड़ा खाता संख्या 99 पुराना 75 प्रदर्श–2 अंकित करवाये गये।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण वादीगण की खरीदशुदा भूमि पर काश्तकारी का कार्य नहीं करने से रहे हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा पुलिस में भी रिपोर्ट करवा दी हैं किन्तु फिर भी प्रतिवादीगण वादीगण के काश्तकारी के कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। प्रतिवादीगण जबरन वादीगण की भूमि पर कब्जा करने को आमादा हो रहे हैं। इसलिये उनको स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति आवश्यक हैं। अतः निवेदन हैं कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करने की कृपा करें।

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। मुताबिक जमाबंदी प्रदर्श–1 सम्वत् 2076 ग्राम जालेड़ा तहसील व जिला बून्दी के खाता संख्या 99 पुराना 86 कुल किता 5 कुल रकबा 1.9302 है0 व जमावंदी प्रदर्श–2 खाता संख्या 112 पुराना 75 कुल किता 1 कुल रकबा 3.4913 है0 वादीगण भूमि में सह–आसामी हैं। मुताबिक प्रदर्श–2 प्रतिवादी पप्पु इस आराजी में सहखातेदार हैं। वादीगण द्वारा यह वाद बिना विभाजन के अनुतोष के पेश किया हैं साथ ही वादीगण द्वारा सभी सह–आसामियों को वाद में आवश्यक पक्षकार होने के उपरान्त भी पक्षकार नहीं बनाया हैं। न्यायिक दृष्टान्त जगदीश बनाम केसर बाई, 1977 आर0आर0डी0 667 में प्रतिपादित किया हैं कि इस प्रकार के दावें में सभी सह–आसामियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए वरना दावा नहीं चल सकता हैं। सह–आसामी का कब्जा भूमि के प्रत्येक इंच पर माना जाता हैं। इसलिये सह–आसामी को अतिक्रमी माना जाना या घोषित किया जाना न्यायसंगत नहीं हैं। वादीगण द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश भी नहीं किया हैं जिससे प्रमाणित हो कि प्रतिवादीगण वादीगण को आराजी पर से अवैध रिती से बेदखल कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। उक्त विवेचना के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसले में शुमार होकर वाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harjinder Singh
Date: 2025.02.28 19:49:00 IST
Reason: SelfAttested

(हरविन्दर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी